

विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। -इंटैलियन कहावत

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न राय के लिये भेजे हैं, जनता उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट की राय जानने को मात्र

नवीन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल, 2025 में जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल शोषक के केस में दिया था, जिसमें यह माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विस्तीर्ण भी विशेषक को अधिकारी रखने का अधिकारी की सीमा तक होना चाहिये और न्यायालय ने ये तीन माह की सीमा निर्धारित की। इस निर्णय की वैधता पर उपराष्ट्रपति घनखड़ को निवारण किया और कहा कि 'हमने इस दिन को तमिलनाडु की ओर योग्यता को तो निवारण समय में फैलाने देने को कहा जाएगा।' अब राष्ट्रपति मूर्ख ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न भेजे हैं और कोर्ट की सलाह मांगी है। इनमें एक प्रश्न उत्तरात्मक विषय के बाबत भी है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जनना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 201 के तहत 3 महीने की समय अधिकतय कर सकते हैं, जबकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय राष्ट्रपति ने उक्त फैलते हैं कि संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं के विवरण भाग है, इसे संविधान की संविधान की संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं को विवरण भाग है।

इस पर विचार करने के हेतु इन्हें संविधान व अनुच्छेद 143 को समझना होगा, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 200 व 201 की व्याख्या करनी होगी। समय सीमा नहीं है, फिर भी क्या राज्यपालों व राष्ट्रपति को लिये क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिये क्या वे अपने पूर्ववर्ती फैलत पर पुनः विचार कर निर्णय दे सकते हैं, वह भी कोर्ट के आगे पर।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 निम्नलिखित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है:-

1. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विशेषक आता है तो क्या संविधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल को विवरण की सलाह और मदद में लिया व्याख्या है?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संविधानिक विशेषक का प्रयोग न्यायोचित है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैलतों पर योग्य सांघर्षिक विकल्प होता है?
5. संविधान में राज्यपाल के लिये समय सीमा तय नहीं है। क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति को फैलतों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
7. क्या राष्ट्रपति को फैलतों को पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है?
8. क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लिया जाना निर्धारित है?
9. क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैलतों पर कानून लागू होने से पहले अदालत समन्वय कर सकती है?
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैलतों को बदल सकता है?
11. क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की संविधानिक विकल्प किया जा सकता है?

12. क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जांचों को भेजना अनिवार्य है?

13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/अदेश दे सकता है, जो संविधान व तात्पर्यानुसार समान से मेल न खाता है?

14. क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

हमारा संविधान कई विशिष्टाओं से भरा हुआ है। संविधान के विशेषज्ञ सुधार करने 'हमारा संविधान' नामक प्रस्तुक में जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वह है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक विकल्प किया जाता है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जांच तक सफलता अधिकारी ही मानी जाएगी।

भारत का संविधान एक संविधानिक व्यापक दर्तावेज है। वह अन्यथा नहीं तथा एकात्मक और संविधानीय तथा संसदीय प्रमुख अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके अलावा वह अन्यथा नहीं तथा संविधान के विशेषज्ञ सुधार करने के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक व्यवस्था के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

भारत का संविधान एक संविधानिक व्यापक दर्तावेज है। वह अन्यथा नहीं तथा एकात्मक और संविधानीय तथा संसदीय प्रमुख अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके अलावा वह अन्यथा नहीं तथा संविधान के विशेषज्ञ सुधार करने के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त्य है। जहाँ कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने के अधिकार के साथ से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है कि एक अंतर्व्यवस्था के मूल अधिकारी और दूसरी और जनता के सामाजिक, अधिकारी हीतों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहा है। इसके संबंधित विवादों के लिये व्यापक है। अब उक्त विवादों के समाजिक, अधिकारी और मानी जाएगी।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संवर्त